न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
84 / 2025 प्रा0 पत्र	17.02.2025	06-11-2025

उनवान

1. श्री जगदीश पिता जगन्नाथ मीणा, निवासी धांधोलाई, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

--- प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् रेकार्ड में नया मार्ग (रास्ता) दर्ज कराये जाने व खुलासा रखाया जाने बाबत्

उपस्थित :–

1–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मांगीलाल सेन, उपस्थित।

2–विपक्षी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य एव खातेदारी अधिकारों की ग्राम कोटडी पटवार हल्का दरीबा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 1.0116 हैक्टयर भूमि से आने–जाने हेतू व अपने मवेशियो, कृषि उपकरण व हंकाई बुवाई हेतू ट्रैक्टर को लाने ले जाने हेतु मौके पर बिलानाम सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 780/1 गे0मु0 रास्ता से प्रारम्भ होकर आराजी नम्बर 778 बिलानाम कृषि भूमि के मध्य से होकर प्रार्थी अपनी स्वयं की कृषि आराजी नम्बर 778/1 में प्रवेश करता है जो कि उक्त रास्ता मौके पर विद्यमान है जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी वर्षो से भी अधिक समय से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है मौके पर रास्ता 30 फीट चौडाई का विद्यमान होकर चिरकाल से चला आ रहा है इस रास्तें के अलावा प्रार्थी के और कोई वैकल्पिक रास्ता उक्त भूमि में आने–जाने हेतु नहीं है इसलिए प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टयर कुल किता 01 रकबा 1.0116 हैक्टयर भूमि में आने–जाने हेतु यह एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड व नक्शें में दर्ज नही है इसलिए राजस्व रेकॉर्ड व नक्शें में नया मार्ग दर्ज किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है इस आवेदन के साथ रास्ता का प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत है जिसमे मोके पर विधमान रास्ता को ए० से बी० स्थान तक लाल स्याही से डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है जो इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

प्रार्थी को अपनी खातेंदारी की भूमि में आने–जाने हेतु मौके पर विद्यमान सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 780/1 से प्रारम्भ होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 778 के मध्य से होकर प्रार्थी की स्वयं की आराजी नम्बर 778/1 में प्रवेश करता है रास्ता मौके पर 30 फीट चौडाई का विद्यमान है जिसे राजस्व रेकॉर्ड व नक्शें में अंकित किया जाने हेतु रास्ता के लिए अवाप्त होने वाली भूमि का नियमानुसार वर्तमान डी०एल०सी० की दर से मुआवजा राशी का निर्धारण कर अवाप्त होने वाली भूमि का प्रतिकर निर्धारण कर तहसील में जमा किया जाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शें के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड व नक्शें मे नया मार्ग (रास्ता) अंकित किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 778/1 मे आने–जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 778 के मध्य 30 फीट चौडाई का रास्ता विद्यमान है जिसका राजस्व रेकॉर्ड व राजस्व नक्शें में अंकित किया जाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षी को कई बार निवेदन किया ओर कई बार रिपोर्ट पेंश कि किन्तु विपक्षी द्वारा कोई सकरात्मक कार्यवाही नहीं की अतः विपक्षी के यहां कई मर्तबा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी को विपक्षी के विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर व वाके ग्राम कोटडी पटवार हल्का दरीबा भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.0116 हैक्टयंर भूमि में आने–जाने हेतु मोके पर रास्ता आराजी नम्बर 780/1 गे०मु० रास्ता से प्रारम्भ होकर आराजी नम्बर 778 के मध्य से होकर स्वयं की कृषि भूमि मे जाता है जिसे प्रस्तावित नक्शा में लाल स्याही से ए० से बी० स्थान तक दर्शाया गया जो कि मौके पर रास्ता 30 फीट चौडाई का रास्ता विद्यमान है जिसे इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा में ए० से बी० स्थान तक लाल स्याही से डॉटेड लाईन से दर्शाया है जिसमें अवाप्त होने वाली भूमि की डी०एल०सी० दर से गणना कर अवाप्त होने वाली भूमि का मुआवजा का निर्धारण नियमानुसार जमा कर राजस्व रेकॉर्ड में माप कर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें इस हेतु रास्ता की भूमि विपक्षीगण के खाते मे से कम कर रास्ता मे दर्ज कराई जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये विंपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने पत्र क्रमांक 459 दिनांक 18.03.2025 से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम कोटडी की खसरा नम्बर 778 रकबा 0.2529 हैक्टैयर भूमि किस्म बंजड बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी जगदीश पिता जगन्नाथ मीणा, निवासी धांधोलाई भीलवाडा अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि किस्म उद्योग में आने–जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं ग्राम कोटडी से सुरास जाने वाली सडक आराजी नम्बर 780/1 एवं 780 के मध्य बिलानाम बिलानाम आराजी नम्बर 778 स्थित है, जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर आवागमन करता है। प्रार्थी उक्त बिलानाम भूमि में से सीमा ग्राम कोटडी–सुरास के सहारे 30 फीट चौडा रास्ता रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत् धारा 251 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी नम्बर 778 पर मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। रास्तें के लिये सीमा ग्राम सुरास के सहारे सडक से प्रार्थी की आराजी तक 33 फीट चौडाई में रास्ता प्रस्तावित करने पर रकबा 0.0253 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्ता से किसी प्रकार की हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है। प्रस्तावित रास्ता भूमि मौके पर पडत है। उक्त भूमि अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित नहीं है। मौकै पर किसी प्रकार का वाद–विवाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त प्रस्तावित भूमि को रास्ता हेतु दर्ज किये जाने पर मौके पर कोई सार्वजनिक आपत्ति जाहिर नहीं आई है। प्रस्तावित रास्तें के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा बनाया गया। विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 778 में से रास्ते हेतु 85 फीट लम्बाई गुणा 33 फीट चौडाई से 2805 वर्गफीट अर्थात् 0.0253 हैक्टेयर बनता है। प्रस्तावित रास्तें को लाल स्याही से अंकित किया गया है। प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर 2,05,000 /– रूपये प्रति हैक्टेयर की दो गुणा राशि प्रस्तावित क्षेत्रफल की 10,373 /– बनती है। डी0एल0सी0 की प्रति संलग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए इस प्रकार है :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाई बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहाँ कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिये किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहूँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) आर0टी0ए0 1955 में ''कृषि'' शब्द को परिभाषित किया गया है इसके अनुसार कृषि में उद्यान कार्य, पशुपालन, दुग्धशाला और कुकुट पालन व वन विभाग सम्मिलित है। चूंकि प्रार्थी द्वारा आवेदित ग्राम कोटडी की आराजी संख्या 778/1 की किस्म उद्योग है, जो अकृषि भूमि की श्रेणी में आती है।

अतः ग्राम कोटडी पटवार हल्का दरीबा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि की किस्म **उद्योग** दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर0टी0ए0 का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

–:: <u>आदेश</u> ::–

अतः ग्राम कोटडी पटवार हल्का दरीबा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 778/1 रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि की किस्म उद्योग होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06-11-2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
[illegible] अधिकारी
भीलवाड़ा